ओडिशा न्यायिक सेवाएँ संगठन, कटक

बनाम

ओडिशा राज्य और एक अन्य।

26 नवंबर, 1990

[के. एन. सिंह और के. रामास्वामी, न्यायाधिपतिगण]

उड़ीसा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 - नियम 7 - पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए कोटा तय करने के लिए सरकार की संवैधानिक वैधता।

याचिकाकर्ताओ, उड़ीसा उच्च न्यायिक सेवा के सेवारत कर्मचारियों के संगठन ने, अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका में उड़ीसा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 के नियम 7 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और उडीसा न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिये बार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने वाली दिनांक 24/2/1987 की अधिसूचना को रदद करने की प्रार्थना की। यह तक्र दिया गया कि अधिकांश न्यायिक अधिकारी पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण कई वर्षों से रुके हुए हैं, और कानून के तहत बार के सदस्यों की सीधी भर्ती की अनुमति नहीं है, और राज्य सरकार और उच्च न्यायालय सीधी भर्ती करने में कानून के विपरीत काम कर रहे थे।

रिट याचिका को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. अनुच्छेद 233 (1) और (2) राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति के साथ साथ बार के सदस्यो से सीधी भर्ती द्वारा भर्ती पर विचार करता है। भर्तियाँ राज्य के राज्यपाल द्वारा परामर्श और उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती हैं। [350 जी-एच]

2. संविधान के साथ-साथ अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियम बार के सदस्यो से सीधी भर्ती द्वारा सेवा की वरिष्ठ शाखा में भर्ती का प्रावधान करते है। संवैधानिक आदेश को केवल इसलिये चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा की पदोन्नति की संभावनाओ पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। [351 सी-डी]

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई हताशा और ठहराव की दलील गलत और त्रुटिपूर्ण थी और सीधी भर्ती के खिलाफ उनकी शिकायत अनुचित थी। न्यायिक सेवा के सदस्य इस तरह के तुच्छ मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं होने चाहिए क्योंकि यह न्यायिक प्रशासन को श्रेय नहीं देता है। [351 ई-जी; 352 ए]

4. यद्यपि नियम 7 भर्ती के दो स्रोतों के लिए कोटा निर्धारित नहीं करता है, लेकिन राज्य सरकार और उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक आदेशों द्वारा सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत और पदोन्नति के लिए 75 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया है। अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती 75 प्रतिशत कोटे से अधिक की गई है। इसलिए, न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा के सदस्यो के खिलाफ भेदभाव से संबंधित याचिकाकर्ता की शिकायत निराधार है। [352 डी-एफ]

5. वैधानिक नियमों को प्रशासनिक निर्देशो द्वारा पूरक किया जा सकता है। वैधानिक प्रावधान के अभाव में, राज्य सरकार उच्च न्यायलय के परामर्श से प्रशासनिक आदेशो द्वारा सेवा में भर्ती के दो स्त्रारेतो के लिये कोटा निर्धारित करने में सक्षम है। तथापि, नियमों में सेवा में भर्ती के लिए कोटा निर्धारित करना वांछनीय और उचित होगा। भर्ती के दो स्रोतों के लिए कोटा तय करने वाले नियमों में वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है, जिससे संदेह और

मुकदमेबाजी होती है। इसलिए राज्य सरकार को अनिश्चितता को दूर करने के लिए कोटा निर्धारित करके नियमों में संशोधन करने के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से तत्काल कदम उठाने चाहिए। [352 एफ-एच]

मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सी) संख्या 485/1987

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

पी. चिदंबरम, पी. एन. मिश्रा और पी. के. जेना, याचिकाकर्ताओ के लिये।

एन. एस. हेगड़े, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और राज कुमार मेहता, प्रतिवादीगणो के लिये।

न्यायालय का निर्णय; सिंह, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

उड़ीसा न्यायिक सेवा संघ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें उडीसा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 के नियम 7 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और बार के सदस्यो से उडीसा उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाने वाली दिनांक 24/2/1987 की अधिसूचना को रदद किये जाने की प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ता-संघ, जो उडीसा राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यो का प्रतिनिधित्व करता है, ने शिकायत की है कि राज्य में अधीनस्थ न्यायिक सेवा दयनीय स्थिति में बनी हुई है और अधिकांश न्यायिक अधिकारी पदोन्नति में अवसरो की कमी के कारण कई वर्षो से रूके हुये है। हालांकि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के पास उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति का अवसर है, लेकिन चूंकि उडीसा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) में बार के सदस्यो के लिये के उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती का प्रावधान है, यह अधीनस्थ न्यायिक सेवा के

सदस्यो की पदोन्नति की संभावनाओ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके परिणामस्वरूप ठहराव और निराशा होती है। उनकी शिकायत यह है कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए और इस दृष्टि से उन्होने उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 24/2/1987 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिये बार के सदस्यो से आवेदन आमंत्रित किये गये है। याचिकाकर्ता ने नियम 7 की वैधता को भी चुनौती दी है जो सरकार कोयह तय करने की शक्ति देता है कि कौन सी रिक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति से भरी जायेगी। यह आग्रह किया जाता है कि नियम 7 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 233 (2) का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार, साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ने याचिका का विरोध करते हुये जवाबी शपथपत्र प्रस्तुत किये है।

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि बार के सदस्यो की सीधी भर्ती कानून के तहत अनुज्ञेय नहीं है और राज्य सरकार और उच्च न्यायालय उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती करने में कानून के विपरीत काम कर रहे है, इसमें कोई दम नहीं है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। खंड (1) में कहा गया है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने के लिये व्यक्तियो की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्याययालयके परामर्श से की जायेगी और अनुच्छेद के खंड (2) में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है जो पहले से ही राज्य संघ की सेवा में जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा में नहीं हो, बशर्ते, वह एक वकील या अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात साल तक रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई हो। अनुच्छेद 233 के ये दो खंड राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में शामिल जिला न्यायाधीश के पद पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति के साथ साथ बार के सदस्यो से सीधी भर्ती द्वारा भर्ती पर विचार करते है।

ये भर्तियाँ राज्य के राज्यपाल द्वारा परामर्श और उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती हैं। उड़ीसा के राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 309 सपठित 233 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उडीसा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 बनाये है, जिनमें उड़ीसा उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित किया गया है। नियम 5 में दो तरीकों से सेवा में भर्ती का प्रावधान है, अर्थात् सीधी भर्ती और सेवा की कनिष्ठ शाखा से अधिकारियों को पदोन्नत करके। नियम 7 में प्रावधान है कि जब सेवा की वरिष्ठ शाखा में कोई रिक्ति होती है, तो सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लेगी कि क्या इसे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है। नियम 8 में कहा गया है कि सेवा की वरिष्ठ शाखा में सीधे बार से भर्ती की जाएगी। नियम 9 में प्रावधान है कि जब भी सेवा की वरिष्ठ शाखा में रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरने का निर्णय लिया जाता है, तो सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश पर उन्हें भरेगी। वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए अन्य नियमों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह स्पष्ट है कि संविधान के साथ-साथ अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों में इन पदों पर बार के सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा सेवा की वरिष्ठ शाखा में भर्ती का प्रावधान है। संवैधानिक जनादेश को केवल इस अधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह कुछ हद तक न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा के पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई हताशा और ठहराव की दलील गलत और सही नहीं है। राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की ओर से दायर जवाबी शपथपत्रो में सीधी भर्ती और पदोन्नतियों का विवरण न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जिससे पता चलता है कि 1961 से 1987 की अवधि के दौरान बार के केवल 12 सदस्यों को सीधे वरिष्ठ न्यायिक सेवा की

वरिष्ठ शाखा में भर्ती किया गया था, जबकि 100 व्यक्तियों को न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा से पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा के सदस्यों के पास विशेष रूप से पूर्व संवर्ग के पद है, जिनकी संख्या 10 हैं, और उन पदों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से भरे जाने वाले पदो की संख्या की गणना में ध्यान में नहीं रखा गया है। इस प्रकार न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा के सदस्य उच्च न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में 75 प्रतिशत से अधिक मूल पदो पर पद धारण कर रहे है, जिसका सेवा में भर्ती के प्रयोजनो के लिये निर्धारित कोटा को ध्यान में रखते हुये कोई औचित्य नहीं है। हमारी राय में इन तथ्यो पर हम इस निष्कर्ष पर आते है कि याचिकाकर्ताओ की प्रत्यक्ष भीर्ती के खिलाफ शिकायत अनुचित है। हमारी राय में न्यायिक सेवा के सदस्यो को इस प्रकार के तुच्छ मुकदमो में लिप्त नहीं होना चाहिये क्योंकि यह न्यायिक प्रशासन को श्रेय नहीं देता है।

जहाँ तक नियम 7 की वैधता के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती का संबंध है, हम उस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। नियम 7 इस प्रकार हैः

> "नियम 7 - जब सेवा की वरिष्ठ शाखा में कोई रिक्ति होती है, तो सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लेगी कि क्या इसे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।"

यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त नियम राज्य सरकार को यह निप्रय लेने की शक्ति प्रदान करता है कि कौन सी रिक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी, लेकिन नियम दो से भर्ती के लिए कोटा प्रदान नहीं करता है और न ही यह प्रश्न तय करने के लिए कोई प्रक्रिया या दिशा निर्देश निर्धारित करता है कि कौन सी रिक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से, यह आग्रह

किया जाता है कि नियम 7 मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 7 भर्ती के दो स्रोतों के लिए कोटा निर्धारित नहीं करता है, लेकिन पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक आदेशों द्वारा सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत और पदोन्नति के लिए 75 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया है। दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के कोटे का पालन किया गया है और वास्तव में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से यह सुनिश्चित किया है कि पदोन्नति के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत का कोटा बनाए रखा गया है। वास्तव में सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती 75 प्रतिशत कोटा से अधिक की गई है, इसलिए न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव से संबंधित शिकायत निराधार है।

हालांकि यह सच है कि वैधानिक नियमों को प्रशासनिक निर्देशों द्वारा पूरक किया जा सकता है और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रशासनिक आदेशो द्वारा सेवा में भर्ती के दो स्रोतों के लिए कोटा निर्धारित करने में सक्षम है, लेकिन सेवा में भर्ती के लिये कोटा नियमो में ही निर्धारित करे, यह वांछनीय और उचित होगा। भर्ती के दो स्रोतों के लिए कोटा निर्धारित करने वाले नियमों में वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे संदेह और मुकदमेबाजी होती है। इसलिए, हमारी राय है कि राज्य सरकार को अनिश्चितता को दूर करने के लिए कोटा निर्धारित करके नियमों में संशोधन करने के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से तत्काल कदम उठाना चाहिये। यदि वैधानिक नियम भर्ती के दो स्रोतों के लिए कोटा निर्धारित करते हैं, यह उस अभ्यास को समाप्त कर देगा जिससे राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को हर बार यह निर्धारित करने के लिए

गुजरना पड़ता है कि क्या इसे दो स्रोतों में से किस स्रोत से भरा जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि नियमों में कोटा का प्रावधान किया जाए।

परिणामस्वरूप, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। यह तदनुसार खारिज की जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

वी. पी. आर

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।